मई 28, 2021 सरकारी आदेश 2021-11

<u>सरकारी आदेश 2021-11</u>
<u>(COVID-19 सरकारी आदेश सं. 80)</u>

जबकि, मार्च 2020 की शुरुआत से ही, इलिनॉय ने एक ऐसी वैश्विक-महामारी का सामना किया है जो असाधारण रूप से बीमारी एवं जनहानि का कारण बनी है, जो 1,380,000, से भी अधिक लोगों को संक्रमित कर चुकी है और इसने 22,700 से अधिक निवासियों की जान ले ली है; और,

जबकि, जैसे इलिनॉय कोरोनावायरस रोग 2019 (कोविड-19) द्वारा उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा का सामना करना जारी रखता है, जो कि एक बिलकुल नया, गंभीर, तीव्र श्वसन रोग है जो श्वसन संचरण के माध्यम से तेज़ी से फैलता है, इससे संपूर्ण राज्य के निवासियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, प्रथम उत्तरदाताओं और सरकारों पर जो भारी दबाव पड़ा है वह अभूतपूर्व है; और,

जबकि, इलिनॉय के निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है; और,

जबकि, सामाजिक दूरी, फ़ेस कवर, और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सावधानियां COVID-19 के प्रसार को धीमा करने एवं रोकने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं; और,

जबकि, सार्वजनिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन सलाह देता है कि उन लोगों के बीच कम से कम शारीरिक संपर्क हो जो एक ही घर में नहीं रहते हैं और जिनका पूरा टीकाकरण नहीं हुआ है, यह कोविड-19 के फैलाव को धीमा करने के लिए महत्त्वपूर्ण है; और,

जबकि, CDC लगातार यह सलाह दे रहा है कि कपड़े के फेस कवरिंग या मास्क उन लोगों की रक्षा करते हैं जिनका COVID-19 से पूरी तरह टीकाकरण नहीं हुआ है; और,

जबकि, CDC की सलाह है कि स्कूलों को कम से कम 2020-2021 शैक्षिक स्कूल वर्ष की शेष अवधि तक K-12 स्कूलों के लिए CDC की परिचालन रणनीति में उल्लिखित COVID-19 रोकथाम रणनीतियों का उपयोग जारी रखना चाहिए; और,

जबकि, CDC लगातार यह सलाह दे रहा है कि डे केयर प्रदाताओं को डे केयर प्रदाताओं और उनके कर्मचारियों को वैक्सीन लग जाने के बाद भी, मास्क लगाने और शारीरिक दूरी बनाए रखने सहित, COVID-19 रोकथाम रणनीतियों का उपयोग जारी रखना चाहिए; और

जबकि, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (Gubernatorial Disaster Proclamations) के दौरान कोविड-19 इलिनॉय में फैल चुका है, और संपूर्ण राज्य में आपदा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां बदल चुकी हैं एवं लगातार बदल रही हैं, तो ऐसे में अगले कुछ माह में वायरस का प्रसार का मार्ग क्या होगा इसका स्पष्ट पूर्वानुमान लगाना अत्यंत कठिन हो गया है; और,

जबकि, 22,700 से भी अधिक इलिनॉय वासियों की दुखद मृत्यु का कारण बनने एवं दसियों हज़ारों और निवासियों के शारीरिक स्वास्थ्य को तबाह करने के इलावा, कोविड-19 ने व्यापक आर्थिक हानि भी की है और यह अभी-भी लगातार पूरे राष्ट्र एवं राज्य में बड़ी संख्या में व्यक्तियों एवं व्यवसायों की आर्थिक खुशहाली को ख़तरे में डाल रहा है; और,

जबकि, राज्य के कई सरकारी अभिकरणों ने अपने सीमित संसाधनों को कोविड-19 वैश्विक-महामारी से निपटने पर केंद्रित किया है; और,

जबकि, कोविड-19 वैश्विक-महामारी के कारण इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ एग्रीकलचर (Illinois Department of Agriculture, (IDOA)) के लिए मांस व पोल्ट्री इकाइयों और पशुधन प्रबंधन इकाइयों के नियमन एवं पर्यवेक्षण के माध्यम से राज्य की खाद्यापूर्ति शृंखला पर प्रकोप के प्रभाव को संभालना आवश्यक हो गया है; और,

जबकि, कोविड-19 वैश्विक-महामारी के चलते पशुधन बाज़ार में आए व्यवधान के कारण IDOA के लिए डेड एनीमल डिस्पोज़ल एक्ट (Dead Animal Disposal Act) के अपने पर्यवेक्षण एवं नियमन के माध्यम से सुरक्षित एवं पर्यावरण के अनुकूल पशु निपटान चिंताओं को हल करने के लिए अपने संसाधनों को पशुधन स्वामियों एवं उत्पादकों के साथ मिलाकर कार्य करने पर केंद्रित करना आवश्यक हो गया है; और,

जबकि, IDOA ऐसे कई अन्य उद्योगों का नियमन एवं उनकी जांच-पड़ताल करता है जो कोविड-19 वैश्विक-महामारी से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, जिनमें कीटनाशक का छिड़काव करने वाले, पशु आश्रय, पालतू पशुओं की दुकानें, और गैस स्टेशन शामिल हैं पर वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, और इन उद्योगों के सतत व उचित नियमन हेतु IDOA के लिए यह आवश्यक है कि वह दूरस्थ जांच-पड़ताल एवं प्रशिक्षण के संचालन के लिए नई कार्यविधियों की रचना करने में अतिरिक्त समय व संसाधन लगाए; और,

जबकि, IDOA द्वारा विनियमित उद्योगों पर कोविड-19 वैश्विक-महामारी के हानिकारक प्रभाव के कारण IDOA के लिए बिज़नेस इंटरप्शन ग्रांट प्रोग्राम (Business Interruption Grant Program) के समयबद्ध कार्यान्वयन के आयोजन और प्रबंधन में अतिरिक्त समय एवं संसाधनों का निवेश आवश्यक हो गया है; और,

जबकि, मई 28, 2021 को, कोविड-19 के प्रसार के अपेक्षित रूप से जारी रहने, और राज्य भर के लोगों द्वारा आगामी महीनों में जो लगातार हो रहे स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभाव महसूस किए जाएंगे उन पर विचार करते हुए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

जबकि, ऊपर वर्णित महामारी की आपातस्थिति और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातस्थिति की प्रतिक्रिया में, मैं सरकारी आदेशों 2020-04, 2020-07, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-15, 2020-16, 2020-20, 2020-21, 2020-23, 2020-24, 2020-25, 2020-26, 2020-27, 2020-29, 2020-30, 2020-34, 2020-35, 2020-36, 2020-40, 2020-45, 2020-47, 2020-50, 2020-57, 2020-68, 2020-72, 2021-03, 2021-07, और 2021-10 को पुनः जारी करना आवश्यक पाता हूं और उन सरकारी आदेशों के जबकि खंडों को एतद्द्वारा सम्मिलित करता हूं;

इसलिए, इलिनॉय राज्य के गवर्नर के रूप में मुझ में निहित शक्तियों, इलिनॉय के संविधान और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, (Illinois Emergency Management Agency Act) 20 ILCS 3305 की धारा 7 (1), 7 (2), 7 (3), 7 (8), 7 (9), और 7 (12) के अनुसार और लोक स्वास्थ्य कानूनों की शक्तियों के अनुरूप, मैं मई 28, 2021 से प्रभावी निम्नलिखित आदेश दे रहा हूं:

<u>भाग 1:</u> <u>सरकारी **आदेशों का पुनः जारी होना।**</u>

सरकारी आदेश 2020-04, 2020-07, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-15, 2020-16, 2020-20, 2020-21, 2020-23, 2020-24, 2020-25, 2020-26, 2020-27, 2020-29, 2020-30, 2020-34, 2020-35, 2020-36, 2020-40, 2020-45, 2020-47, 2020-50, 2020-57, 2020-68, 2020-72, 2021-03, 2021-07, और 2021-10 को निम्नवत एतद्द्वारा पुनः जारी किया जाता है:

सरकारी आदेश 2020-04 (जेम्स आर. थॉम्पसन केंद्र (James R. Thompson Center) का बंद होना; राज्य कर्मचारियों के लिए बीमारी छुट्टी लेने की आवश्यकता की समाप्ति):

सरकारी आदेश 2020-04 के अनुभागों 2 और 3 को पुनः जारी किया जाता है एवं **जून 26, 2021** तक बढ़ाया जाता है। अनुभाग 2 में शामिल कुछ भी डिपार्टमेंट ऑफ़ सेंट्रल मैनेजमेंट सर्विसिज़ (Department of Central Management Services) को राज्य कर्मचारियों, राजकीय कार्यों में भाग लेने वाली आम जनता, और वे जनसामान्य जो व्यवसायों तथा फ़ूड कोर्ट के नियमित ग्राहक हैं, के लिए जेम्स आर. थॉम्पसन केंद्र में प्रवेश और निकास के विशिष्ट बिंदु निर्धारित करने तथा यातायात नियंत्रित करने से वर्जित नहीं करता है।

सरकारी आदेश 2020-07 (व्यक्तिगत उपस्थिति वाली बैठक की आवश्यकताएं)

सरकारी आदेश 2020-33 और सरकारी आदेश 2020-44 द्वारा संशोधित सरकारी आदेश 2020-07 के अनुभाग 6 को पुनः जारी किया जाता है और **जून 26, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-09 (टेलिहेल्थ):

सरकारी आदेश 2020-09 को जैसा कि सरकारी आदेश 2020-52 द्वारा संशोधित किया गया है, अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जून 26, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-11 (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ करेक्शंस (Illinois Department of Corrections) अधिसूचना अवधि):

सरकारी आदेश 2020-11 के अनुभाग 4 को पुनः जारी किया जाता है एवं **जून 26, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-12 (स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पृष्ठभूमि जांच; इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ जुविनायल जस्टिस (Illinois Department of Juvenile Justice) अधिसूचना अवधि:

सरकारी आदेश 2020-12 के अनुभागों 1 और 3 को पुनः जारी किया जाता है एवं **जून 26, 2021** तक बढ़ाया जाता है, इसके बाद अनुभाग 1 निरस्त कर दिया जाएगा।

सरकारी आदेश 2020-15 (इलिनॉय स्कूल कोड (Illinois School Code) के उपबंधों का स्थगन):

सरकारी आदेश 2020-15 के अनुभागों 5, 6, 7, 8 और 9 को पुनः जारी किया जाता है एवं **जून 26, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-16 (सुरक्षा सेवाओं के लिए आवश्यक कक्षा प्रशिक्षण का स्थगन):

सरकारी आदेश 2020-16 के अनुभाग 2 को पुनः जारी किया जाता है एवं **जून 26, 2021** तक बढ़ाया जाता है, इसके बाद अनुभाग 2 निरस्त कर दिया जाएगा।

सरकारी आदेश 2020-20 (लोक सहायता आवश्यकताएँ (Public assistance requirements)):

सरकारी आदेश 2020-20 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जून 26, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-21 (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ करेक्शंस (llinois Department of Corrections) के कैदियों का थोड़े दिनों का अवकाश):

सरकारी आदेश 2020-21 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जून 26, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-23 (आपदा प्रतिक्रिया में संलग्न लाइसेंसशुदा पेशेवरों के लिए इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ फाइनेंशियल एंड प्रोफैश्नल रेगुलेशन (Illinois Department of Financial and Professional Regulation) द्वारा की गई कार्यवाहियां):

सरकारी आदेश 2020-23 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जून 26, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-24 (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्युमन सर्वसेज़ फोरेंसिक ट्रीटमेंट प्रोग्राम (Illinois Department of Human Services Forensic Treatment Program); इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्युमन सर्वसेज़ (Illinois Department of Human Services) के कर्मचारियों की जांच पड़ताल:

सरकारी आदेश 2020-24 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जून 26, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-25 (ऋणानुबंध (Garnishment) एवं वेतन कटौतियां):

सरकारी आदेश 2020-25 को जैसा कि सरकारी आदेश 2020-55 द्वारा संशोधित किया गया है, अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जून 26, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-26 (अस्पताल की क्षमता):

सरकारी आदेश 2020-26 के अनुभाग 5 को पुनः जारी किया जाता है एवं **जून 26, 2021** तक बढ़ाया जाता है, इसके बाद अनुभाग 5 को निरस्त कर दिया जाएगा।

सरकारी आदेश 2020-27 (कोविड-19 परिक्षण में पॉज़िटिव पाए गए शव):

सरकारी आदेश 2020-27 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जून 26, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-29 (पेशेवर बीमा लाइसेंसों के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति वाला शिक्षण या परीक्षाएँ):

सरकारी आदेश 2020-29 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जून 26, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-30 (समय सीमा समाप्त (एक्सपायर) हो चुके दूतावासीय (consular) पहचान दस्तावेज़; इलिनॉय ह्युमन राइटज़ कमीशन (Illinois Human Rights Commission) के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग):

सरकारी आदेश 2020-30 के अनुभागों 1, 4, 5 और 6 को पुनः जारी किया जाता है एवं **जून 26, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-34 (भांग (Cannabis) संबंधी आवश्यकताएँ)

सरकारी आदेश 2020-34 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जून 26, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-35 (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ (Illinois Department of Public Health) नियामक गतिविधियां:

सरकारी आदेश 2020-35 के अनुभागों 14 और 15, को पुनः जारी किया जाता है एवं **जून 26, 2021** तक बढ़ाया जाता है, जबकि अनुभाग 15 निरस्त कर दिया जाएगा।

सरकारी आदेश 2020-36 (विवाह के लाइसेंस):

सरकारी आदेश 2020-36 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जून 26, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-40 (बाल श्रम कानून):

सरकारी आदेश 2020-40 के अनुभागों 2 और 4 को पुनः जारी किया जाता है एवं **जून 26, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-45 (भांग (Cannabis) लाइसेंस):

सरकारी आदेश 2020-45 अपनी संपूर्णता में फिर से जारी किया जाता है और सरकारी आदेश 2020-45 में निर्दिष्ट किए अनुसार प्रभावी रहेगा।

सरकारी आदेश 2020-47 (preK-12 स्कूलों में व्यक्तिगत उपस्थिति वाला शिक्षण):

सरकारी आदेश 2020-47, जो नीचे अनुसार संशोधित और पुनरीक्षित है, को उसकी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है और **जून 26, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

अनुभाग 1. इलिनॉय में प्री-किंडरगार्टन से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को सेवाएं देने वाले सभी पब्लिक एवं नॉन-पब्लिक स्कूल, 2019-2020 का नियमित स्कूल सत्र पूरा हो जाने के बाद, व्यक्तिगत उपस्थिति वाले शैक्षिक कार्य लिए खोले जा सकते हैं। सभी पब्लिक एवं नॉन-पब्लिक स्कूलों को ~~चरण 4 के दौरान~~ से चरण 5 के दौरान IDPH और ISBE के मार्गदर्शन का पालन करना होगा और विद्यार्थियों, स्टाफ़, और आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के सक्रिय उपाय करने होंगे, जिनमें निम्नलिखित सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशानिर्देश शामिल हैं पर वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: कम से कम दो साल और उससे अधिक उम्र के सभी बच्चों के लिए COVID-19 वैक्सीन उपलब्ध होने तक:

a. छात्रों और पूरी तरह से टीकाकरण वाले कर्मचारियों के बीच कम से कम 3 फीट की शारीरिक दूरी को समायोजित करने के लिए स्थान की क्षमता के अनुसार ~~पचास या उससे कम~~ पर लोगों की संख्या को सीमित करना, और बिना टीकाकरण वाले कर्मचारियों के लिए कम से कम 6 फीट की सामाजिक दूरी का पालन करना।
b. सामाजिक दूरी की आवश्यकताओं का अधिकतम संभव सीमा तक अनुपालन सुनिश्चित करना। इस सरकारी आदेश के प्रयोजनों के लिए, छात्रों और पूरी तरह से टीकाकरण वाले वयस्कों के लिए, सामाजिक दूरी में अन्य व्यक्तियों से कम से कम तीन फुट की दूरी बनाए रखना शामिल है, और वयस्कों के लिए जिनका पूरा टीकाकरण नहीं हुआ है, अन्य व्यक्तियों से कम से कम छह फुट की दूरी बनाए रखना और आपस में शारीरिक संपर्क को हतोत्साहित करना शामिल है।
c. स्कूल भवनों में प्रवेश से पहले ~~लक्षणों की स्क्रीनिंग एवं तापमान जांच आवश्यक करना या~~ व्यक्तियों के लिए यह स्व-प्रमाणन आवश्यक करना कि वे कोविड-19 (COVID-19) के लक्षणों से मुक्त हैं।
d. उपयुक्त स्वच्छता परिपाटियां सुनिश्चित करना, जिनमें अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइज़र जिसमें कम से कम 60% अल्कोहल हो, का उपयोग करते हुए यथासंभव बार-बार हाथों को साबुन व पानी से कम-से-कम बीस सेकंड तक धोना या हैंड सेनिटाइज़र का उपयोग करना, खांसते या छींकते समय नाक व मुंह ढकना (आस्तीन या कोहनी में, न कि हथेलियों से), व्यक्तिगत वस्तुओं के साझाकरण को हतोत्साहित करना, और CDC दिशानिर्देशों के अनुसार बारं-बार छुई जाने वाली सतहों को दिन में कम से कम एक बार और आवश्यकता होने पर इससे अधिक बार नियमित रूप से साफ और कीटाणुरहित करना शामिल है।
e. छात्रों, कर्मचारियों और आगंतुकों द्वारा उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग आवश्यक करना, जिसमें दो वर्ष से अधिक आयु के तथा चिकित्सीय दृष्टि से फ़ेस कवर सहन कर सकने वाले व्यक्तियों द्वारा फ़ेस कवरिंग का उपयोग शामिल है। स्कूलों को, जो कर्मचारी सारे समय न्यूनतम छः फ़ीट की सामाजिक दूरी बनाए रखने में समर्थ नहीं हैं उन्हें फ़ेस कवर प्रदान करना चाहिए, और अधिकतम संभव सीमा तक सभी विद्यार्थियों के लिए फ़ेस कवर उपलब्ध करना चाहिए।

सरकारी **आदेश 2020-50 (काउंटी जेलों से इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस में स्थानांतरण फिर से शुरू करना**):

सरकारी आदेश 2020-50 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जून 26, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-57 (भांग (Cannabis) के पहचान पत्र):

सरकारी आदेश 2020-57 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जून 26, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-68 (भांग (Cannabis) रजिस्ट्री पहचान पत्र का नवीनीकरण):

सरकारी आदेश 2020-68 को जैसा कि सरकारी आदेश 2021-05 द्वारा संशोधित किया गया है, अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जून 26, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-72 (आवासीय निष्कासन स्थगन (Residential eviction moratorium)):

सरकारी आदेश 2020-74, सरकारी आदेश 2021-01, सरकारी आदेश 2021-05 और सरकारी आदेश 2021-06 द्वारा संशोधित सरकारी आदेश 2020-72 को इसकी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है और **जून 26, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2021-03 (क्षेत्रीय शमन मेट्रिक्स (Regional mitigation metrics)):

सरकारी आदेश 2021-03 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जून 26, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2021-07 (इलिनॉय एनर्जी असिसिटेंस एक्ट (Illinois Energy Assistance Act) के उपबंधों का स्थगन):

सरकारी आदेश 2021-07 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जून 26, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2021-10 (ब्रिज चरण (Bridge Phase)):

सरकारी आदेश 2021-10 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **जून 26, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

भाग 2: बचत खंड (Savings Clause)। यदि इस सरकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर इसके लागू करने को किसी सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस सरकारी आदेश को लागू करने को प्रभावित नहीं करती है, जिसे उस अवैध प्रावधान के बिना या उसे लागू किए बिना प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस सरकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया जाता है।

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker),

राज्यपाल

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा मई 28, 2021 को जारी किया गया
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा मई 28, 2021 को दायर